सूरजभानसिंह V/S चन्द्रभानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	16/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. ता० [illegible] कार्य में [illegible] होने से जनरल तारीख दी गई। गत आदेश की पालना में दिनां० 23/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
23/09/2025	~~पत्रावली पेश हुई~~। वकील वादीगण उप० प्रतिवादी सं० 01 भी उप० पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं० 02 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी सं 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 7027 दिनांक 18/07/2025 द्वारा कुरेजात प्राप्त होकर पूर्व से शामिल पत्रावली है बहस कुरेजात सुनी गयी। कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/09/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० बाद पत्र पर बहस वादी वकील पर मनन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। बहस वादीगण वकील पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त कुरेजात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा अधि होफ़्ता, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 24.9.25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in
PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :–65 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक:– 20.05.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 24.09.2025

उनवान

1. सूरजभानसिंह उम्र 72 वर्ष पुत्र लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह जाति राजपूत निवासी उनबडागॉव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:– वादी

बनाम

1. चन्द्रभानसिंह उम्र 75 वर्ष पुत्र लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह जाति राजपूत निवासी उनबडागॉव तहसील बांदीकुई
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई

:– प्रतिवादीगण

दावा अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा, तकास्मा

निर्णय दिनांक 24.09.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा, तकास्मा जर्ये वकील श्री विनोद विजय के इस आशय से पेश किया कि ग्राम उनबडागॉव तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई में स्थित सैटलमैन्ट पूर्व कृषि भूमि खसरा नंबर 353 / 2 / 1079 रकबा 10 बीघा की खातेदार व काबिज काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 की दादी छोटी कंवर पत्नि गोविन्दसिंह उर्फ गोकुलसिंह जाति राजपूत निवासी उनबडागॉंव थी। उक्त छोटी कंवर का देहान्त हो गया है और छोटी कंवर के एक मात्र पुत्र लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह था, लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह का भी देहान्त दिनांक: 18.07.2022 को हो गया है। उक्त लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह के वादी व प्रतिवादी सं. 01 पुत्र है और उक्त भूमि पर आज दिन मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 का कब्जा है। उक्त भूमि सैटलमैन्ट पूर्व खसरा नं. 353 / 2 / 1079 रकबा 10 बीघा के सैटलमैन्ट के दौरान नंबर बदलकर और नये खसरा नंबर 1063 रकबा 2.5300 हैक्ट कायम कर दिये हैं उक्त वर्तमान खसरा नंबर 1063 रकबा 2.5300 हैक्ट पर मौके पर आज भी वादी व प्रतिवादी सं. 01 का कब्जा है। पहले वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के पिता का कब्जा था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के दादा गोविन्दसिंह को गोकुलसिंह भी कहते थे। वादी के दादा का नाम गोविन्दसिंह उर्फ गोकुलसिंह था तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के पिता लल्लूसिंह क किशनसिंह भी कहते थे और वादी व प्रतिवादी सं. 01 के पिता का नाम लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह है। छोटी कंवर की मृत्यु होने पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 का पिता लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह जीवित था उक्त छोटी कंवर की विरासत का नामान्तकरण लल्लूसिंह उर्फ

१५६

किशनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह उर्फ गोकुलसिंह के नाम खुलना चाहिए था किन्तु राजस्व
कर्मचारियों ने गलत तरीका से वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह के
पुत्र होने के बावजूद भी तथा लल्लूसिंह उर्फ किशनसिंह तत्समय जीवित होने के
बावजूद भी प्रतिवादी सं. 01 को विधि विरुद्ध तरीके से किन्द उर्फ गोकुलसिंह का पुत्र
बताकर और छोटी कवर की विरासत का नामान्तकरण सं ग्राम उनबामा दिनांक 03.07.
89 को तहसीलदार ने तस्दीक कर दिया उक्त नामान्तकरण कोई अधिकार उत्पन्न नही
होते हैं। वादी एवं प्रतिवादी से 01 ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक अवैध अमान्य व
प्रभावशून्य नामान्तकरण है उक्त नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी सं. 01 को
कानामन्तकरण के खिलाफ उनवानी चन्द्रभानसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत
उनबडागॉद इकी। उक्त अपील को प्रतिवादी सं. 01 ही संचालता था उक्त अपील को
न्यायालय हाजा दिनांक 22.11.2019 को यह कहकर खारिज कर दिया कि सक्षम
न्यायालय में धाराजोही करने एका आदेश की वादी को जानकारी हुई तब वादी ने
प्रतिवादी सं. 01 से सक्षम न्यायालय में के लिये पक्षकारान स्वतंत्र है। वादी को उक्त
निर्णय दिनांकः 22.11.2019 की जानकारी नहीं थी। चाराही कर और उक्त भूमि की
खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी से 01 के नाम कराने की कही तथा कहा कि उक्त भूमि
की खातेदारी दोनों के नाम करवा लो व खाता अलग अलग करवा लो प्रतिवादी सं.
01 ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने व तकास्मा कराने से मना कर दिया। अतः
बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया व अधिघोषणा कराना, तकास्मा
कराना एवं प्रतिवादी सं. 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया
है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को अधिघोषणा इस आशय की पारित
फरमाने की कृपा करें कि वाके ग्राम उनबडागांव तहसील बोंदीकुई में स्थित कृषि भूमि
वर्तमान खसरा नंबर 1063 रकबा 2.5300 हैक्ट. के वादी व प्रतिवादी सं. 01
बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार व काबिज कास्तकार है और उक्त भूमि के सैटलमैन्ट
से पूर्व खसरा नं. 353/2/1079 रकबा 10 बीघा की विरासत का नामान्तकरण छोटी
कॅवर बेवा गोविन्दसिंह के स्थान पर प्रतिवादी सं. 01 को गोविन्दसिंह का पुत्र बताकर
और नामान्तकरण सं. 476 दिनांक 03.07.89 को तहसीलदार बसवा ने तस्दीक किया
है। उक्त नामान्तकरण अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य है। तदनुसार घोषणा फरमाकर डिक्री
वादी व प्रतिवादी सं. 01 के पक्ष में पारित फरमाने की कृपा करें तथा उक्त भूमि के
रिकार्ड में वर्तमान इन्द्राज को हटवाकर उक्त डिक्री अनुसार इन्द्राज करने का आदेश
देने की कृपा करें। तथा प्रतिवादी सं. 01 को उक्त भूमि को रहन बय नही करने व
वादी के कब्जे में देखल न देने हेतु पाबंद फरमावे तथा उक्त वर्णित अनुसार घोषणा
फरमाकर उक्त भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1063 रकबा 2.5300 हैक्ट. वाके ग्राम
उनबडागॉव का वादी व प्रतिवादी सं. 01 के मध्य सरस नरस के आधार पर तकास्मा
फरमाकर खाता व लगान अलग अलग कायम फरमाने की कृपा करे तदनुसार डिक्री
वादी के पक्ष में पारित फरमाने की कृपा करे।

वादी बाद दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस
विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं न्यायालय हाजा उपस्थित आये एवं आदेशिका
पर हस्ताक्षर किये एवं प्रतिवादी सं. 1 ने दावा डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं होना
जाहिर किया एवं इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। अतः उभयपक्षकारान

२५६

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सहमति प्रकट करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.09.2024 को वादी वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 7027 दिनांकः 18.07.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादी वकील एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरेंजात का अवलोकन किया। कुरेंजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा अधिघोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

	प्रस्तावित कुरेंजात अनुसार इन्द्राज				
क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	उनबडागॉव	चन्द्रभान सिंह पुत्र लल्लुसिंह उर्फ किशनसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1063/1	1.2650	बारानी 2
			कुल किता 01	**कुल रकबा 1.2650**	
		सूरजभान सिंह पुत्र लल्लुसिंह उर्फ किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1063/2	1.2650	बारानी 2
			कुल किता 01	**कुल रकबा 1.2650**	

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे।साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें।पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 24.09.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

24.9.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई (दौसा)